न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 44/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0 **(प्रार्थी)**

बनाम

गोविन्द प्रसाद पुत्र रामेश्वर दत्तक पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री ओम प्रकाश मेहता II अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 16.09.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सीसवाली में सेटलमेन्ट जमाबंदी सम्वत् 2014–23 में आराजी खसरा नंबर 2362 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज है। उक्त आराजी के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम सीसवाली आराजी साबिक खसरा नंबर 2362 के हाल खसरा नंबर 4112 रकबा 2.10 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत नदी दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर ... अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक ... आशय का पेश हुआ कि अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नहीं किया गया है बल्कि अप्रार्थी को वसीयती उत्तराधिकार के आधार पर इंतकल कमांक 126 दिनांक 11.11.1994 के आधार पर उक्त आराजी पर खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त रेफरेन्स में यह अंकित नहीं किया गया है कि किस दिनांक को किस आदेश से किस्म परिवर्तन की गई है, किसके नाम आवंटन किया गया है उसको पक्षकार बनाये बिना उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही चलने योग्य नही है। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2034–37 में मोतीशंकर बेटा रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी सीसवाली के खाते दर्ज थी। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त रेफरेन्स पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स निरस्त फरमाया जावे। जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम सीसवाली में सेटलमेन्ट 2014–2023 के अनुसार आराजी खसरा नं. 2362 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम सीसवाली आराजी साबिक खसरा नंबर 2362 के हाल खसरा नंबर 4112 रकबा 2.10 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नंबर 4112 रकबा 2.10 है., 4427 रकबा 0.12 है. जमाबंदी संवत 2069–72 अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिस पर इंतकाल कमांक 1130 रहन भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा कोटा का नोट अंकित है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजी अप्रार्थी को पूर्व खातेदार मोतीशंकर बेटा रामगोपाल से वसीयती उत्तराधिकारी के आधार पर अप्रार्थी के खाते दर्ज हुई है। जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के नियम उक्त आराजीयात पर लागू नही होते हैं। उक्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 2362 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा किस्म माल अव्वल जमाबंदी संवत 2034–37 में दर्ज थी। इस प्रकार उक्त जनहित याचिका का हवाला देकर उक्त रेफरेन्स पेश किया गया है जबकि इस याचिका के तथ्य एकदम विपरीत हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थी ने विधिक दृष्टांत 2010 (1) आरआरटी 588 बउनवान मूर्ति मंदिर श्री मुरली मनोहर जी बनाम रनधीर सिंह व अन्य की छायाप्रति पेश की।

5– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम सीसवाली में सेटलमेन्ट 2014–2023 जमाबन्दी में खसरा नं. 2362 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई दर्ज रिकार्ड है, मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम सीसवाली आराजी साबिक खसरा नंबर 2362 के हाल खसरा नंबर 4112 रकबा 2.10 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी। [illegible] आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम सीसवाली में दर्ज आराजी खसरा नंबर 4112 रकबा 2.10 है. किस्म नहरी I को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 2362 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 16.09.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested